

अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी, जिला जयपुर

क्रमांक १५

दिनांक:- 19.03.2020

विषय:- कोरोना वायरस(कोविड-19) के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का परिपत्र क्रमांक

08/पी0आई0/2020 दिनांक 17.03.2020

-:नोटिस:-

सभी पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के संदर्भित परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना कठोरता पूर्वक की जाने के क्रम में न्यायालय/कार्यालय में अधिवक्तागण एवं पक्षकारान की आवक-जावक को रोकने की दृष्टि से फागी मुख्यालय के न्यायालय हाजा में एक समान आगामी तारीख निश्चित किया जाना उचित प्रतीत होता है। एक समान तारीख देने से अधिवक्तागण/पक्षकारान को न्यायालय में नही आना होगा एवं न्यायालय परिसर में भीड़ कम होगी। अतः निम्नानुसार तारीख नियत की जाती है:-

S.No.	Date of Hearing	Next Date of Hearing cases in which accused is/are in J.C	Next Date of Hearing in other Cases
1	19-03-2020	—	03-04-2020

सभी पक्षकारान-अधिवक्तागण सूचित रहे।

अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फागी, जिला जयपुर